न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2023/549
मिसल नम्बर–61/2023

1.मांगीलाल आत्मज स्व0 जगन्नाथ, जाति धाकड़
2.शिवप्रकाश आत्मज स्व0 धन्नालाल, जाति धाकड़
3.दिनेश आत्मज स्व0 धन्नालाल, जाति धाकड़
4.मुरारीलाल आत्मज स्व0 धन्नालाल, जाति धाकड़
5.कौशल्या पुत्री स्व० धन्नालाल, जाति धाकड़.
6.नन्दकंवरी पुत्री स्व0 धन्नालाल, जाति धाकड
7.सुमित्रा पुत्री स्व0 धन्नालाल, जाते धाकड़
8.बिरधी बाई पत्नी स्व0 धन्नालाल, जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम अरल्याजागीर, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा (राजरथान)

प्रार्थी।

बनाम

1.बंकट बिहारी आत्मज रामचन्द्र, जाति धाकड
2.जितेन्द्र सिंह आत्मज छत्रसाल सिंह उर्फ छीतर सिंह, जाति धाकड़
3.तेजराज सिंह आत्मज छत्रसाल सिंह उर्फ छीतर सिंह, जाति धाकड़
4.प्रदीप सिंह आत्मज छत्रसाल सिंह उर्फ छीतर सिंह, जाति धाकड
5.भंवरी बाई पुत्री छत्रसाल सिंह उर्फ छीतर सिंह, जाति धाकड़
6.रमा कवर पुत्री छत्रसाल सिंह उर्फ छीतर सिंह, जाति धाकड
7.शिव कंवर पुत्री छत्रसाल सिंह उर्फ छीतर सिंह, जाति धाकड़
8.प्रेम कंवर पत्नी छत्रसाल सिंह उर्फ छीतर सिंह, जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम अरल्याजागीर, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा
9.अयोध्या बाई पत्नी मोतीलाल, जाति धाकड़,
10.आनन्दीलाल आत्मज बिरधीलाल, जाति धाकड,
11.आबदा बाई पत्नी छोटूलाल, जाति धाकड़
12.कमलेश आत्मज छोटूलाल, जाति धाकड़
13.कलावती बाई पुत्री बिरधीलाल, जाति धाकड
14.कौशल्या पुत्री रामनारायण, जाति धाकड़ ,
15.छीतरलाल आत्मज बिरधीलाल, जाति धाकड़
16.जगदीश आत्मज मोतीलाल, जाति धाकड
17.दिनेश आत्मज बद्रीलाल, जाति धाकड़
18.दौलतराम आत्मज रामनारायण, जाति धाकड़
19.नन्दकिशोर आत्मज राधाकिशन, जाति धाकड
20.भूली बाई पुत्री बिरधीलाल, जाति धाकड़

उपखण्ड अधिकारी

21.निर्मला बाई पुत्री छोटूलाल, जाति धाकड़
22.बद्री बाई पुत्री बिरधीलाल, जाति धाकड़
23.बाबूलाल आत्मज मोतीलाल, जाति धाकड़
24.भंवरलाल आत्मज मोतीलाल, जाति धाकड
25.मुकुटबिहारी आत्मज रामनारायण, जाति धाकड
26.मथुरालाल आत्मज राधाकिशन, जाति धाकड.
27.मनभर पुत्री रामनारायण, जाति धाकड
28.महेश आत्मज बद्रीलाल, जाति धाकड़
29.राकेश आत्मज बद्रीलाल, जाति धाकड़
30.राजकान्ता पुत्री छोटूलाल, जाति धाकड़
31.रामकैलाश आत्मज बिरधीलाल, जाति धाकड,
32.लक्ष्मीचंद आत्मज रामनारायण, जाति धाकड़
33.लाड़ बाई पुत्री रामनारायण, जाति धाकड़
34.सुन्दर बाई पत्नी रामनारायण, जाति धाकड़
35.सुमनलता पुत्री छोटूलाल, जाति धाकड
36.सुशीला पत्नी बद्रीलाल, जाति धाकड़
37.सोहनी बाई पुत्री छोटूलाल, जाति धाकड़
38.हेमलता पुत्री छोटूलाल, जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम अरल्याजागीर, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा (राजस्थान)
39.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, तह० लाड़पुरा, जिला कोटा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 8/11/24

उपस्थिति:–

1.श्री ललित नागर अधिवक्ता प्रार्थी ।

2.श्री सतीश कुमार शर्मा अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता।

3.श्री महावीर गुप्ता अप्रार्थीगण नं0 2 लगायत 32 व नं0 35 लगायत 38

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी क्रम–1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 159 के खसरा नम्बर 71/513 की रकबा 1.92 हैक्टर व प्रार्थी क्रम–2 लगायत 8 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 71 की रकबा 1.92 हैक्टर वाके ग्राम अरल्याजागीर, पटवार हत्का अरल्याजागीर, भू०अभि०नि0क्षेत्र अरण्डखेड़ा, तहसील

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

...पुरा, जिला कोटा में स्थित चली आ रही है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर ...योग उपभोग करते चले आ रहे है प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीगण ...रम्भ से ही गंदीफली से अरल्याजागीर जाने वाले रोड़ से होते हुये खसरा नम्बर 66 व 67 उत्तरी मेड व खसरा नम्बर 65 की दक्षिणी मेड़ पर होते हुये खसरा नम्बर 71 व खसरा नम्बर 71/513 पर होकर आते –जाते रहे है और प्रार्थीगण प्रारम्भ से ही हल, कुली, बेल, गाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि कृषि यंत्र ले जाकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है, परंतु कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 66 की मेड़ पर होकर आने–जाने व कृषि यंत्र लाने व ले जाने में आपत्ति करता चला आ रहा है और लड़ाई– झगड़ा करने पर आमादा हो रहा है और यही नहीं अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 66 की उत्तरी मेड़ पर पत्थर का कोट (बाउण्ड्रीवाल) करते हुये प्रार्थीगण के खेत पर आने–जाने के रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के समक्ष अपनी खातेदारी की भूमि पर आने –जाने व कृषि यंत्र ले जाकर कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना – पत्र श्रीमान् तहसीलदार लाड़पुरा, कोटा के यहां पेश कर रास्ते को खुलासा करवाये जाने का अनुरोध किया, जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा हल्का पटवारी को मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया, जिस पर दिनांक 17.06.2022 को हल्का पटवारी महोदय ने मौके की रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान् तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है और हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थीगण के खेत तक जाने का पूर्व में रास्ता बना हुआ था, परंतु वर्तमान में खसरा नम्बर 66 व 65 की मेड़ पर पत्थर का कोट व चबूतरा बना देने से रास्ता बंद कर दिया है। परंतु रास्ता यहीं से होकर आता–जाता रहा है और रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है इसलिये प्रार्थीगण धारा 251–ए के तहत नियमानुसार रास्ता प्राप्त करने की कार्यवाही करें और इस प्रकार प्रार्थीगण को श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वह रास्ता प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें। खसरा नम्बर 65 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 द्वारा व खसरा नम्बर 67 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 38 द्वारा कभी भी अपने खेत की उत्तरी– दक्षिणी मेड़ पर होकर आने –जाने में व कृषि यंत्र लाने ले जाने से प्रार्थीगण को मना नहीं किया है और यह स्वयं हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में माना है कि खसरा नम्बर 67 व 65 के खातेदारान रारता देने के लिये सहमत है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राथीगण का प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 65, 66 व 67 की मेड पर रास्ता रहा है और वह कृषि यंत्र ले जाकर कृषि कार्य अपनी खातेदारी की भूमि पर करते रहे है। प्रार्थीगण का एकमात्र रारता उक्त खसरा नम्बर 65, 66 व 67 की मेड से होकर जाता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, चार पहिया वाहन इत्यादि लाने के लिये नहीं है इसलिये खसरा नम्बर 65 की दक्षिणी मेड पर व खसरा नम्बर 66 व 67 की उत्तरी मेड पर रास्ता 16 फीट चौड़ा कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ता दर्ज कर अमल दरामद किया जाना आवश्यक है। प्राथींगण की कृषि आराजी पर जाने हेतु सबसे समीपस्त रास्ता खसरा नम्बर 65 की दक्षिणी मेड पर व खसरा नम्बर 66 व 67 की उत्तरी मेड़ पर स्थित रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कृषि यंत्र चार पहिया वाहन, ट्रेक्टर इत्यादि लाने व ले जाने के लिये स्थित नहीं है । इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार अदा करने के लिये तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में वर्णित खातेदारी की भूमि ग्राम अरल्याजागीर,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हल्का अरल्याजागीर, भू0अभि0नि0क्षेत्र अरण्डखेड़ा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा स्थान) पर आने–जाने हेतु एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 65 की णी मेड पर व खसरा नम्बर 66 व 67 की उत्तरी मेड पर 16 फीट चौड़ा कायम करते हुये क्त रास्ते की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी क्रम –1 को पाबंद फरमाया जावे कि वह रास्ते की भूमि पर पत्थर की बाउण्ड्रीवाल को हटाकर भविष्य में उक्त रास्ते को जबरन अवैध रूप से अवरूद्ध ना करें और ना ही किसी भी पक्षकार के आने–जाने में व्यवधान उत्पन्न करे तथा अन्य न्यायोचवित सहायता जो समीचीन हो वह प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का गंदीफली से अरल्याजागीर जाने वाले रोड से होते हुय खसरा नं0 65 व 67 उत्तरी मेड व खसरा नं0 65 की दक्षिणी मेड पर होते हुय खसरा नं0 71 व खसरा नं0 71/513 पर होकर कोई रास्ता नही है गलत असत्य तथ्य अंकित किये है, गलत रूप से अवैध अनाधिकृत रूप से झूठी कार्यवाहियां करके रास्ता प्राप्त करना चाहते है जबकि प्रार्थीगण के खेत का रास्ता आरंभ से ही अन्य जगह से रहा है, प्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी नं0 2 लगायत 32 एवं अप्रार्थी नं0 35 लगायत 38 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आने जाने हेतु गंदीफली से अरल्याजागीर रोड से होते हुये खसरा नं0 66 व 67 की उत्तरी मेड से खसरा नं0 65 की दक्षिण की मेड पर होकर खसरा नं0 71/513 पर होकर कृषि काश्त करने हेतु आते जाते रहे है परंतु कुछ समय से अप्रार्थी नं0 1 खसरा नं0 66 की मेड पर होकर प्रार्थीगण के आने जाने एवं कृषि लाने व ले जाने में आपत्ति करते हुये लड़ाई झगड़ा कर रहा है और अप्रार्थी नं0 1 ने खसरा नं0 66 की मेड पर पत्थर की बाउण्ड्रीवाल कर प्रार्थीगण के आने जाने में बाधा उत्पन्न कर दी है और अवरूद्ध कर दिया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तहत अप्रार्थी नं0 2 लगायत 32 एवं अप्रार्थी नं0 35 लगायत 38 को प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे स्थान पर रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.10.2020 के अनुसार रास्ते बाबत तहसील से रिपोर्ट उभयपक्षकारान की मौजूदगी में गिरदावर से तैयार कर मंगवाई गई, जिसमें तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अरलिया जागीर के खसरा नं0 71 एवं 71/513 भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही है। वादीगण 5 मीटर चौड़ाई में नजरी नक्शा अनसुार खातेदारान की भूमि में से रास्ता चाहते है। खसरा नं0 65 कुल रकबा 2.44 है0 भूमि 40 X 5 = 200 वर्ग मीटर, खसरा नं0 66 कुल रकबा 1.22 है0 भूमि में 156 X 5 = 780 वर्ग मीटर तथा खसरा नं0 67 कुल रकबा 3.47 है0 भूमि में 24 X 5 = 120 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी। खसरा नं0 66 का खातेदार बंकटबिहारी पुत्र रामचन्द्र रास्ता देने में सहमत नही है।

प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में नजीरे 2023(2) डीएनजे (राज0) 802, 2022(1) डीएनजे (राज0) 214, 2019(1) डीएनजे (राज0) 113, पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित प्रार्थना पत्र एवं तहसील रिपोर्ट का किया गया। बाद अवलोकन प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान नहीं है, किन्तु प्रार्थीगण को कृषि कार्य के लिए रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक स्थिति में प्रार्थीगण को नया रास्ता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर प्रार्थीगण को पटवार अरल्या जागीर के ग्राम अरल्या जागीर में स्थित अपनी निजी खातेदारी की खसरा र 71/513 की रकबा 1.92 हैक्टर व खसरा नम्बर 71 की रकबा 1.92 हैक्टर में कृषि कार्य वास्ते आने–जाने हेतु भूमि ख0 नं0 65 की दक्षिणी मेड पर 220 मी0 लम्बाई एवं 2 मी0 चौड़ाई (220 X 2 = 440 मी²) (0.0440 है0 में) भूमि, खसरा नं0 66 की उत्तरी मेड पर 156 मी0 लम्बाई एवं 2 मी0 चौड़ाई (156 X 2 = 312 मी²) (0.0312 है0 में) भूमि एवं खसरा नं0 67 की उत्तरी मेड पर 40 मी0 लम्बाई एवं 2 मी0 चौड़ाई (40 X 2 = 80 मी²) (खसरा नं0 66 के पश्चिम में) खसरा नं0 67 की उत्तरी मेड पर 24 मी0 लम्बाई एवं 2 मी0 चौड़ाई (24 X 2 = 48 मी²) (खसरा नं0 66 के पूर्व में) अर्थात 24 X 2 = 48 मी² 0.0048 है0 नए रास्ते के रूप में दी जाती है तथा तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते के रूप में प्रदान की गई भूमि के रकबे का डीएलसी दर का दोगुना अनुसार तय राशि का भुगतान प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को करवाया जाना सुनिश्चित करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक:.....8/11/24.....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा